(82)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक 3737–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–6–2016 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल, प्रकरण क्रमांक 746/अपील/2013–14.

.....

रामबाबू आ0श्री हरनाथ भील
निवासी ग्राम काकंरवाल तहसील नरसिंहगढ
जिला राजगढ़ म0प्र0

..... आवेदक

विरूद्ध

1–सरपंच ग्राम पंचायत काकंरवाल
तहसील नरसिंहगढ जिला राजगढ म0प्र0
2–मध्यप्रदेश शासन द्वारा तहसीलदार तहसील वोडा
जिला राजगढ़

..... अनावेदकगण

.....

श्री प्रेमसिंह , अभिभाषक– आवेदक
श्री आर0जी0पटेल, अभिभाषक– अनावेदक क्रमांक 1

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 14/6/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल ''संहिता'' कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–6–2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक ग्राम काकंरवाल तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ का कोटवार था । ग्राम पंचायत के प्रस्ताव एवं पंचनामें के आधार पर तहसील न्यायालय द्वारा कार्यवाही की जाकर दिनांक 23–1–12 को आदेश पारित कर आवेदक को कोटवार पद से पृथक किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष

प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 22–5–2013 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 29–6–16 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ प्रकरण दिनांक 28–3–17 को इस निर्देश के साथ आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था कि आवेदक के विद्वान अधिवक्ता 10 दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करेंगे, परन्तु उनके द्वारा नियत अवधि में लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं अतः प्रकरण के निराकरण में निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों व अनावेदक कमांक 1 के द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्को पर विचार किया जा रहा है । आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा आदेश पारित करने में इस तथ्य पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है कि ग्राम पंचायत के चुनाव के कारण तत्कालीन सरपंच आवेदक के परिवार से दुर्भावना रखता था इसलिये असत्य तथ्यों पर प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जिसके आधार पर कार्यवाही करने में तहसीलदार द्वारा अवैधानिकता की गई है ।

(2) तहसीलदार द्वारा बिना विधिवत् जॉच किये और बिना आवेदक को दोषी पाये कोटवार पद से हटाने में विधि एवं न्याय की गंभीर भूल की गई है, इस ओर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है इसलिये उनके आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

(3) आवेदक द्वारा कारण बताओं सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत करने पर नस्ती में ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जिससे आवेदक पर लगाये गये आरोप सिद्ध हो सके ।

(4) आवेदक को उसके सेवाकाल में कभी भी चेतावनी अथवा दण्ड नहीं दिया गया है और न ही ग्रामवासियों को कोई शिकायत रही है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) तत्कालीन सरपंच द्वारा सत्य तथ्यों के आधार पर प्रस्ताव पास कराया था तथा प्रस्ताव व पंचनामा तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था । आरोपों के संबंध में साक्ष्य भी प्रस्तुत की गई थी जिससे आवेदक पर आरोप सिद्ध पाये गये हैं अतः अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश विधिसंगत है ।

(2) कोटवार की नियुक्ति दिनांक से ही आवेदक का कार्यकाल संतोषजनक नहीं रहा है और उसका चालचलन भी अच्छा नहीं रहा है ।

(3) अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये है जिनमें हस्तक्षेप का आधार इस निगरानी में नहीं होने से निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा थाना प्रभारी से आवेदक के संबंध में रिपोर्ट मंगाई गई है जिसमें थाना प्रभारी द्वारा आवेदक के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होने का उल्लेख किया गया है । साथ ही न्यायालय जे.एम.एफ.सी., नरसिंहगढ़ के समक्ष आपराधिक प्रकरण दर्ज होने का उल्लेख किया गया है । ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा आवेदक को कोटवार पद से पृथक करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है और तहसीलदार के आदेश की पुष्टि करने में अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । अतः तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष विधिसंगत होने से इस निगरानी में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–6–2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर